न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/334

नजरूद्दीन आत्मज नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम अंतरालिया तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी ग्रमा रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मुकीम आत्मज श्री कालू जी जाति मुसलमान निवासी ग्राम कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपी अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के सहखातेदारी में खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.98 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2– 1/2 हिस्सा निहित है । वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है । वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 से उक्त भूमि का विभाजन कर अपने 1/2– 1/2 भाग पृथक से खाते दर्ज करवाने का निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने विभाजन कराने से इंकार कर दिया ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य विभाजन कब्जे अनुसार 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 का पृथक–पृथक खाता दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे । प्रतिवादीगण क्रम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ताफैसला वाद उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द बेचान, रहन, आदि नहीं करे तथा वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 22.07.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया व वादी को वादग्रस्त आराजी 0.98 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर आराजी के खातेदारी अधिकार दिये हैं ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में केवल उसके उपस्थित होने बाबत् हस्ताक्षर किये थे । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट की सहमति के बिना ही किसी प्रकार का समझौता किये बिना ही सर्वथा गलत रूप से समझौता होना दर्ज कर वादी को 0.49 हैक्टर भूमि के स्थान पर केवल 0.24 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को 0.49 हैक्टर के स्थान पर 0.74 हैक्टर भूमि दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । अपीलान्ट वादी 1/2 और प्रतिवादी भी 1/2 हिस्से के सहखातेदार थे । अतः उसी अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की जानी चाहिए थी । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हस्ताक्षर कराए गये और वादी अपीलान्ट की सहमति के बिना किसी प्रकार के समझौते बिना गलत रूप से वादी को 0.49 हैक्टर भूमि के स्थान पर केवल 0.24 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को 0.49 हैक्टर के स्थान पर 0.74 हैक्टर भूमि दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22.07.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरडी 1988 पेज 409, आरआरडी 1994 पेज 426 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने उपस्थिति के हस्ताक्षर किये हैं वो पढे–लिखे व्यक्ति हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर दावा वादी डिक्री किया है जिसके खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है और जो नकल जमाबन्दी की नकल पेश की है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादी अपीलान्ट और प्रतिवादी क्रम 1 संभाग से सहखातेदार दर्ज हैं । दावा जवाबदावा में लम्बित था इसे लोक अदालत में रखा और लोक अदालत में वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित हुए हैं उनके द्वारा कोई लिखित राजीनामा पेश नहीं किया गया है और उसी दिन दावा वादी

डिक्री करते हुए वादी को 0.24 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को 0.74 हैक्टर भूमि खाते दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की गई है । अपीलान्ट का यह कथन है कि उनके द्वारा हाजरी के हस्ताक्षर किये गये थे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी विधिक दस्तावेज के वादी अपीलान्ट का हिस्सा विवादित आराजी में कम कर दिया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है । आरआरडी 1988 पेज 409, आरआरडी 1998 पेज 246 यहाँ चस्पा होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय सीपीसी एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया है जो खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के भीतर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा